न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 152/2017

बउनवान

प्रमोद आयु 49 साल पुत्र श्री गोपाल जाति–गूजर निवासी–श्यामपुरा तहसील–बारां, जिला–बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्दसिंह हाडा अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 27.08.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 07.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–खेडी, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 341 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 375/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा पारित किया गया है। सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, कभी बेदखल भी नहीं किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं उसके विरूद्ध तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.10.2015 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को [illegible] निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाब[illegible] कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी [illegible] अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील[illegible]ल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 993/14 निर्णय दिनांक 19.12.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व बिना सुनवाई किये एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है ना ही उक्त आराजी पर कब्जा है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 993/14 निर्णय दिनांक 19.12.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1112/15 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2018 को सरे इजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official